पीठासीन अधिकारी–भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 163/12 तारीख रजू– 01/08/12

1– भैराराज पुत्र कान्जी जाति बैरवा निवासी बाढ विचला तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1– सोनोत्या पुत्र नानगा जाति बैरवा ग्राम बाढ विचला तहसील गंगापुर सिटी
2– रामलाल पुत्र नानगा जातिदृ बैरवा ग्राम बाढ विचला तहसील गंगापुर सिटी
3– भगतलाल पुत्र नानगा जाति बैरवा ग्राम बाढ विचला तहसील गंगापुर सिटी
4– पूरण पुत्र नानगा जाति बैरवा ग्राम बाढ विचला तहसील गंगापुर सिटी
5– कैलाश पुत्र नानगा जाति बैरवा ग्राम बाढ विचला तहसील गंगापुर सिटी
6– रामफूल पुत्र बल्ला (मृतक)
6/1 पानबाई पुत्री रामफूल पत्नि जगन्या जाति बैरवा ग्राम डोब तहसील गंगापुर सिटी
6/2 कम्पूरी पुत्री रामफूल पत्नि रामस्वरूप जाति बैरवा ग्राम ब्रहमवाद तहसील गंगापुर सिटी
7– अनूरी देवी पत्नि पप्पू जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ विचला तहसील गंगापुर सिटी।

———रेस्पोण्डेण्टस

निर्णय दिनांक– 15/03/17

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट,1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार,गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 03/12 मे पारित आदेश दिनांक 18/07/2012 जिसमें प्रार्थी ने ग्राम बाढ विचला के आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 0.52 कि हिस्सा 1/6 अर्थात 8 एयर के संबंध में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र 183 (बी) तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा निरस्त किया गया है के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्टस की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। समस्त रेस्पो0 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे बताया कि माननीय रेवन्यु बोर्ड के निर्णयों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि को कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उसे तुरन्त बेदखल किया जाना चाहिए इसमें किसी न्यायालय में चल रहा कोई प्रकरण वाधा नहीं है। इस प्रकार माननीय रेवन्यु बोर्ड ने निर्धारित किया है कि एक सहखातेदार भी धारा 183 बी के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है तथा सभी सहखातेदारों द्वारा कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है। उक्त वाद आराजीयात के संबंध में सिविल सूट चल रहा है। लेकिन सिविल सूट में खं0नं0 अंकित नहीं है। राजस्व मण्डल के निर्णयों में यह स्पष्ट है कि किसी प्रकरण में सिविल सूट चल रहा है तो भी 183 की कार्यवाही चालू रहेगी। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से सिविल न्यायाधिश (क0ख0) गंगापुर सिटी के यथास्थिति के आदेश को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट एवं दीपू उर्फ दीपचन्द ,भोलू भैराराज कान्जी तथा गुलबी बेवा कान्जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खं0नं0 60 रकबा 0.52 है0 का हिस्सा 1/6 अर्थात 8 ऐयर स्थित ग्राम बाढ विचला है। प्रार्थी व उक्त नामांकित सहखातेदारान आपस में पुत्र व मॉ है जिनका उक्त हिस्सा अन्य सहखातेदारान के आपसी बॅटवारे में आया है। जिससे किसी दीगर व्यक्ति का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। प्रार्थी गरीब व अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जो मजदूरी व उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर जीवन का निर्वाह कर रहा है। अपीलार्थी अपने परिवार सहित कुछ समय पूर्व मजदूरी हेतु दिल्ली चला गया था। जब प्रार्थी दिनांक 28/02/12 को अपने गॉव दुबारा आया तो पाया कि रेस्पोडेन्टास ने प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर दो कमरों की नींव खोद ली । रेस्पोडेन्टस द्वारा किया गया उक्त कृत्य पूर्णतय अवैधानिक है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/07/2012 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रेस्पोण्डेण्ट के अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि अदालत मातहत ने दस्तावेजों के आधार पर 183 की कार्यवाही खारिज की है। अनुसूचित जाति की भूमि है। अनुसूचित जाती का ही कब्जा है। खातेदारी अपीलान्ट की है। बिजली लगा ली है। मकान बना लिया है। वर्तमान में सिविल सूट पेन्डिग है। भूमि कृषि योग्य नहीं है। अप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर कब्जा लिया गया है। दिनांक 25/12/83 को 32 साल पहले ही उक्त वाद आराजीयात पर मकान बने हुए है। भूमि खातेदार से ली गई है।वकील अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/07/2012 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

दोनो विद्वान अभिभाषको की बहस पर गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों ने उक्त वाद आराजीयात के संबंध में वर्तमान में सिविल सूट पेन्डिग होना स्वीकार किया है। उभय पक्ष अनुसूचित जाती के व्यक्ति है। प्रकरण में वर्तमान में सिविल सूट पेन्डिंग होने के कारण किसी भी पक्ष को अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18/07/2012 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हूँ तथा उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि सिविल सूट का निर्णय होने पर सक्षम न्यायालय में पुनः चाराचोरी कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर